न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 49/2019

1 नवरंगलाल पुत्र गोरूराम जाति जाट निवासी तुर्काजी जोहड़ी तन खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 चन्द्रसिंह पुत्र गोरूराम।
2 रामदेव सिंह पुत्र गोरूराम समस्त जाति जाट निवासीगण तुर्काजी जोहड़ी तन खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
3 केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा नवलगढ़ जिला झुंझुनू जरिये शाखा झुंझुनू।
4 भूमिधारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुंझुनू बमुकदमा उनवानी चन्द्रसिंह बनाम रामदेव सिंह आदि मुकदमा नम्बर 294/2011 निर्णय दिनांक 28.03.2019 पीठासीन अधिकारी मुरारीलाल शर्मा आर.ए.एस

उपस्थिति :

1. श्री हरलाल सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अरविन्द सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
4. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 10.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 294/2011 मे पारित निर्णय दिनांक 28.03.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी चन्द्रसिंह की और से भूमि खसरा नम्बर 21,48,49,52,53,54 बाबत विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा, रिकार्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया है। दिनांक 06.05.2016 को विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिकी जारी की गई। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 28.03.2019 को पक्षकारान की सहमती से अन्तिम डिकी पारित की गई है। इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि बंटवारा प्रस्ताव मे तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा भूमि खसरा नम्बर 21 मे अवस्थित पुरानी सड़क अवस्थित है, जिसको राजस्व रिकार्ड मे अलग से अंकित नही किया गया है जबकि उस सड़क का रकबा अपीलांट तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 की भूमि मे गलत रूप से शामिल किया गया है जबकि उक्त सड़क का रकबा अपीलांट तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 तीनो की सामलाती भूमि मे से सामलाती रूप से रास्ते के रूप मे काटी जानी चाहिए थी राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस मे भूमि खसरा नम्बर 21 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे रिकार्डेड रास्ता दिखाया गया है जो काफी पुराना है, जिसमें मौके पर वर्तमान मे पुख्ता सड़क बनी हुई है। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा बिना मौके पर गये ही फर्द मौका तैयार की गयी है क्योंकि अपीलांट के हिस्से मे आयी भूमि खसरा नम्बर 21 में पुख्ता कुआ बना हुआ है जिसे भी नही दिखाया गया है जबकि उक्त कुआ काफी पुराना है ओर काफी वर्षो पूर्व ही अपीलांट ने अपने पिता के नाम से विधुत सम्बंध प्राप्त किया था इसलिए उक्त कुआ अपीलांट के हिस्से की भूमि में अवश्य दिखाया जाना चाहिए था लेकिन फर्द

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

मौका में इसका अंकन नही है। फर्द मौका रिपोर्ट भूमि खसरा नम्बर 21 से लेकर 49 तक सामलाती रास्ता दिखाया गया है तथा उक्त रास्ता अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का सामलाती दिखाया गया है उसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 21 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे विद्यमान सड़क को भी अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 की सामलाती दिखाकर तीनो के हिस्से मे से रकबा कम कर शेष भूमि का विधिवत बंटवारा किया जाना चाहिए था लेकिन कतई गलत रूप से उक्त सड़क की भूमि प्रार्थी/अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 के हिस्से मे शामिल करते हुए गलत रूप से बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की अनुपालना मे तहसीलदार नवलगढ़ ने बिना राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति का अवलोकन किये ही फर्द मौका तैयार की ओर खाली कागज पर हल्का पटवारी ने अपीलांट के हस्ताक्षर करवा लिये जबकि खसरा नम्बर 21 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे काफी पुराना रास्ता था जिसमें वर्तमान मे पुख्ता सड़क बनी हुई है, उक्त सड़क की भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की भूमि मे से कम की जाकर ही बंटवारा किया जाना चाहिए था लेकिन तहसीलदार नवलगढ़ ने उक्त सड़क की भूमि को अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 की भूमि मे शामिल कर दिया जबकि मौके पर पुख्ता सड़क बनी हुई है ओर न ही अधिनस्थ न्यायालय ने अन्तिम डिक्री पारित करने से पूर्व राजस्व रिकार्ड मे अंकित सड़क के सम्बंध में कोई आदेश पारित किया इसलिये निर्णय व डिक्री जैर अपील निरस्त किया जाकर मौके पर सड़क व रास्ते की भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की सामलाती रखते हुए शेष भूमि का बंटवारा प्रस्ताव दुबारा मंगवाया जाकर निर्णय किया जाना कानूनन न्यायसंगत व आवश्यक है। प्रार्थी/अपीलांट द्वारा दिनांक 12.06.2019 को उक्त आदेश की नकल प्राप्त करने पर उक्त आदेश की जानकारी हुई जानकारी से अपील अन्दर मियाद है फिर भी यदि न्यायालय अपील को मियाद बाहर मानता है तो इसके लिए धारा 5 अवधि अधि0 का आवेदन मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2011–12 (Supp) पेज 698 आर.आर.टी. 2001 (2) पेज 1233 आर.आर.डी 1996 पेज 164 आर.आर.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

टी. 2011 (2) पेज 1095 आर.आर.डी. 1995 पेज 475, आर.आर.डी. 1986 पेज 583, आर.आर.टी. 2003 (2) पेज 777, आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 221 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 15.02.2012 को प्रतिवादी संख्या 2/अपीलांट जरिये वकील श्री विधाधर सिंह जाखड़ विचारण न्यायालय में उपस्थित आये है। विचारण न्यायालय में वाद एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 06.05.2016 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई। इस निर्णय के विरूद्व प्रथम अपील न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जो खारिज की गई है। अपील न्यायालय के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील की गई, जो भी खारिज की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा इसके उपरान्त प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव हेतु आदेश पारित किये गये है। दिनांक 28.03.2019 को प्रतिवादी संख्या 2/अपीलांट ने विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री पारित करने हेतु सहमती प्रदान की है। इस सहमती के सन्दर्भ में आदेशिका पर हस्ताक्षर भी है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल फर्द मौका जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का खिरोड़ में पटवारी हल्का ने अंकन किया है कि नवरंगलाल ने अपने हिस्से में रास्ता का हिस्सा मिला लिया है। मौके पर रास्ता के निशानात मौजुद है इसी प्रकार विभाजन प्रस्ताव के फर्द मौका मे तहसीलदार ने अंकन किया है कि मौके पर समस्त खातेदारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। इस विभाजन प्रस्ताव पर भी प्रतिवादी संख्या 2/अपीलांट नवरंगलाल के हस्ताक्षर है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अन्तिम डिक्री हेतु सहमती भी प्रदान की गई है। किसी प्रकार की आपत्ति भी प्रस्तुत नही की गई है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

है कि प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 15.02.2012 को प्रतिवादी संख्या 2/अपीलांट जरिये वकील श्री विधाधर सिंह जाखड़ विचारण न्यायालय में उपस्थित आये है। विचारण न्यायालय में वाद एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 06.05.2016 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई। इस निर्णय के विरूद्व प्रथम अपील न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जो खारिज की गई है। अपील न्यायालय के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील की गई, जो भी खारिज की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा इसके उपरान्त प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव हेतु आदेश पारित किये गये है। दिनांक 28.03.2019 को प्रतिवादी संख्या 2/अपीलांट ने विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री पारित करने हेतु सहमती प्रदान की है। इस सहमती के सन्दर्भ में आदेशिका पर हस्ताक्षर भी है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल फर्द मौका जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का खिरोड़ में पटवारी हल्का ने अंकन किया है कि नवरंगलाल ने अपने हिस्से में रास्ता का हिस्सा मिला लिया है। मौके पर रास्ता के निशानात मौजुद है इसी प्रकार विभाजन प्रस्ताव के फर्द मौका मे तहसीलदार ने अंकन किया है कि मौके पर समस्त खातेदारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। इस विभाजन प्रस्ताव पर भी प्रतिवादी संख्या 2/अपीलांट नवरंगलाल के हस्ताक्षर है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अन्तिम डिक्री हेतु सहमती भी प्रदान की गई है। किसी प्रकार की आपत्ति भी प्रस्तुत नही की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत पाया जाता है। इसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर